



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 497]

NEW DELHI FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. एल-1/13/2010 के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(2)(म) के साथ पठित धारा 66 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियम' कहा गया है) के संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 है।
- 1.2 ये विनियम 01.04.2020 या इस प्रकार की अन्य तारीख से जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 का संशोधन:

- 2.1 निम्नलिखित खण्डों को मूल विनियमों के विनियम 2 के खंड (i) के उपखंड (ड) के बाद जोड़ा जाएगा:-

“(इक) “सामूहिक संव्यवहार” से क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा अज्ञात, समकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में पता लगाए गए संव्यवहारों का सैट अभिप्रेत है।”

“(इख) “सतत संव्यवहार” से सामूहिक संव्यवहार से भिन्न संव्यवहार अभिप्रेत है जहां क्रेता और विक्रेता बोलियों को कीमत-समय प्राथमिकता के साथ सतत आधार पर मिलान किया जाता है।”

2.2 नया उपखण्ड (टक) को मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (ट) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

“(टक) “डेअहेड मार्केट (डैम)” से पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) के माध्यम से ‘डेअहेड कांट्रेक्टों’ के सामूहिक संव्यवहार के लिए मार्केट अभिप्रेत है।”

2.3 नया उपखण्ड (ढक) को मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (ढ) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

“(ढक) वास्तविक समय बाजार के संदर्भ में “गेट क्लोज़र” समय से संदर्भित है जिसके बाद पावर एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई बोलियां विनिर्दिष्ट डिलीवरी अवधि के लिए संशोधित नहीं की जा सकती।”

2.4 मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड(ण) को निम्नानुसार किया जाएगा:-

“(ण) “अंतःदिवस कांट्रेक्ट/आकस्मिक कांट्रेक्ट” से वह कांट्रेक्ट अभिप्रेत है जहां संव्यवहार (सामूहिक संव्यवहार नहीं) डेअहेड संव्यवहार विंडो की समाप्ति के बाद दिवस(टी) को घटित होता है और ऊर्जा की डिलीवरी वास्तविक समय बाजार या अगले दिन (टी+1) की डिलीवरी की विनिर्दिष्ट अवधि के सिवाय उसी दिन (टी) को होती है और जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित हैं।”

2.5 नया उपखण्ड (गगक) और (गगख) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (गग) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(गगक) “वास्तविक समय कांट्रेक्ट” से डेअहेड कांट्रेक्ट और अंतःदिवस या आकस्मिकता कांट्रेक्ट से भिन्न कांट्रेक्ट अभिप्रेत है जहां सामूहिक संव्यवहार दिवस (टी) के दौरान विनिर्दिष्ट डिलीवरी अवधि के लिए अनुसूची के पुनरीक्षण के अधिकार की समाप्ति के बाद घटित होता है और जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित हैं।”

“(गगख) “वास्तविक समय बाजार” से पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) के माध्यम से वास्तविक समय कांट्रेक्टों के सामूहिक संव्यवहारों के लिए मार्केट अभिप्रेत है।”

3. मूल विनियमों के विनियम 4 का संशोधन

3.1 नया उपखण्ड(घ) मूल विनियमों के विनियम 4 के खण्ड (iii) के उपखण्ड(ग) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

“(घ) वास्तविक समय कांट्रेक्ट”

4. मूल विनियमों के विनियम 11 का संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 11 के शीर्षक में “और वास्तविक समय बाजारों” शब्दों को “डेअहेड बाजारों” शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा।

4.2 मूल विनियमों के विनियम 11 के खण्ड क (ii) में “और वास्तविक समय आधार” शब्दों को “डेअहेड आधार” शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा।

सनोज कुमार झा, (सचिव)

[विज्ञापन-III/4/असा./384/19]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 33, तारीख 21.1.2010 में प्रकाशित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गए,

क. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 110, तारीख 3.4.2010 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2019

No. L-1/13/2010/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 66 read with Section 178(2)(y) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as Principal Regulations) namely:

1. Short title and commencement

- 1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) (Second Amendment) Regulations, 2019.
- 1.2 These regulations shall come into force from 1st April, 2020 or such other date as may be notified by the Commission.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations

- 2.1 Following Sub-clauses shall be added after Sub-clause (e) of clause (i) of Regulation 2 of the Principal Regulations :-

“(ea) “Collective Transaction” means a set of transactions discovered in power exchange(s) through anonymous, simultaneous competitive bidding by buyers and sellers.”

“(eb) “Continuous Transaction” means a transaction other than collective transaction, where the buy and the sell bids are matched on a continuous basis with price-time priority.”

- 2.2 New sub-clause (ka) shall be added after sub clause (k) of clause (i) of Regulation 2 of the Principal Regulations, as under :-

“(ka) “Day Ahead Market (DAM)” means a market for collective transactions of ‘Day Ahead Contracts’ through Power Exchange(s).”

- 2.3 New Sub-clause (na) shall be added after Sub-clause (n) of Clause (i) of Regulation 2 of the Principal Regulations, as under :-

“(na) “Gate Closure” in reference to Real-Time Market refers to the time after which the bids submitted to the Power Exchange cannot be modified for a specified delivery period.”

- 2.4 Sub-clause (o) of Clause (i) of Regulation 2 of the Principal Regulations, shall be substituted as under :-

“(o) “Intraday Contract/Contingency Contract” means the contract where the transaction (not being a collective transaction) occurs on day (T) after the closure of day ahead transaction window and the delivery of power is on the same day (T) except for the duration of the specified period of delivery of the real-time market, or next day (T+1) and which is scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre.”

- 2.5 New Sub-clauses (cca) and (ccb) shall be added after sub clause (cc) of clause (i) of Regulation 2 of the Principal Regulations, as under :-

“(cca) “Real-time Contract” means the contract other than day ahead contract and intraday or contingency contract, where collective transactions occur on the day (T) or (T-1) after the right to revision of schedule ends for a specified delivery period during the day (T) and which are scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre.”

“(ccb) “Real-Time Market” means a market for collective transactions of Real time Contracts through Power Exchange(s).”

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations

- 3.1 New Sub-clause (d) shall be added after Sub-clause (c) of Clause (iii) of Regulation 4 of Principal Regulations, as under :-

“(d) Real Time Contract”

4. Amendment to Regulation 11 of the Principal Regulations

- 4.1 In the heading of Regulation 11 of Principal Regulations, the words “and Real-time markets” shall be added after the words “day ahead markets”.
- 4.2 In Clause A(ii) of Regulation 11 of Principal Regulations, the words “and real-time basis” shall be added after the words “day ahead basis”.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./384/19]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, Sr. No. 33, dated 21.1.2010 and the same were amended vide,

- (a) Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) (First Amendment) Regulations, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, Sr. No. 110, dated 3.4.2010